रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255958
CG-DL-E-31072024-255958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/SHRAVANA 9, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

संख्या 41/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 467(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(I) सारणी में, क्रम संख्या 606 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“606क	9802 00 00	निम्नलिखित में उपयोग हेतु सभी माल (किसी भी अल्कोहलिक ताकत के अनडिनेचर्ड एथिल अल्कोहल को छोड़कर) - (i) प्रयोगशाला; या (ii) अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों के लिए।	10%	-	123”;

(II) उपाबंध में, शर्त संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)
“123.	यदि, आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क , जैसा भी मामला हो, के समक्ष एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार आयातित सामान प्रयोगशाला में उपयोग के लिए या अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों में उपयोग के लिए होगा और आयात के बाद बेचा नहीं जाएगा या व्यापार नहीं किया जाएगा, और इस शर्त के अनुपालन में विफलता के मामले में, वह ऐसी मात्रा पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर राशि, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट ना दी गयी होती तो, के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो मात्रा प्रमाणित रूप से निर्दिष्ट उद्देश्यों में उपयोग नहीं की गयी हो।” ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-354/03/2024-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 433 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2024

No. 41/2024-Customs

G.S.R. 467(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(I) in the Table, after S. No. 606 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"606A.	9802 00 00	All goods (excluding undenatured ethyl alcohol of any alcoholic strength) for use in:- (i) laboratory; or (ii) Research and Development purposes.	10%	-	123";

(II) in the Annexure, after Condition No. 122 and the entries relating thereto, the following condition and entries shall be inserted, namely: -

"123.	If, the importer submits an undertaking before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods so imported shall be for use in laboratory or for use in research and development purposes and shall not be sold or traded after importation and that in case of failure to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such quantity of the said goods as is proved to have not been so used for the specified purposes, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption under this notification.".

2. This notification shall come into force from the 1st day of August, 2024.

[F. No. CBIC-354/03/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 30/2024-Customs, dated the 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 433(E), dated the 23rd July, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA